

भाग—IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	जबलपुर जिले के अंतर्गत वनमण्डल, जबलपुर, परिक्षेत्र जबलपुर के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 230 भेड़ाघाट में नवीन थाना निर्माण हेतु 1.00 हेक्टेयर वनभूमि पुलिस अधीक्षक, जबलपुर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

तिथि: 11/06/2021

स्थान: भोपाल


 11/6/2021
 (SUNIL AGRAWAL)
 Addl. P.C.C.F. (L.M.)
 Madhya Pradesh, Bhopal